बउनवान मु0 गुलाबों बनाम हरिसिंह
अपील सं0 50/2016

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–50/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मु0 गुलाबों जोजे लोहड़ा जाति मीना,
2. कैलाशी पुत्र रूग्घा जाति मीना,
3. लेखराम पुत्र रामेश्वर जाति मीना,
4. मंगल पुत्र रामेश्वर जाति मीना,
5. राजूलाल पुत्र रामेश्वर जाति मीना,
6. मु0 लाडबाई बेवा रामेश्वर जाति मीना,
7. हरनाथ पुत्र गोविन्द जाति मीना,
8. नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ जाति मीना,
9. महेश पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासीयान झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0

..... असल रेस्पो0

2. मु0 धनकी जोजे नरसी जाति मीना निवासी सांथा तहसील महवा जिला दौसा राज0
3. जयप्रकाश पुत्र रामनाथ जाति मीना निवासी झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अमरचन्द चौधरी अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–14.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 18.3.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

14/6

बउनवान मु0 गुलाबों बनाम हरिसिंह
अपील सं0 50/2016

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1399 रकबा 0.75 ऐयर वाके ग्राम झालाटाला में स्थित है जिसके तरफ उत्तर में गै0मु0 1404 स्थित है । ख0 नं0 1399 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसमें 1/4 भाग का प्रार्थी व 1/4 भाग की अप्रार्थी 1 व 2, 1/4 भाग का अप्रार्थी सं0 3 ल0 7 के पिता रामेश्वर व शेष 1/4 भाग का अप्रार्थी 8 ल0 12 खातेदार काश्तकार थे जिसके मध्य आराजी का आपसी बंटवारा हो गया जिसमें ख0 नं0 1399 तर्फ पश्चिम की डोल के सहारे 15 फुट रास्ता उत्तर दक्षिण छोड़कर बंटवारा हुआ था । बंटवारे में अप्रार्थी कैलाशी व रामेश्वर के हिस्से में तर्फ उत्तर को रास्ते के लगता हुआ 1399/1 रकबा 0.19 ऐयर रकबा आया जिसके बाद दक्षिण के हरनाथ, नन्दकिशोर, महेशचन्द, जयप्रकाश 1399/2 रकबा 19 ऐयर रकबा आया, उसके बाद तर्फ दक्षिण को धनकी बेवा नरसी व गुलाबों के हिस्से में 1399/3 रकबा 19 ऐयर आया, उसके दक्षिण में 1399/4 रकबा 18 ऐयर रकबा प्रार्थी हरिसिंह को दिया गया जिसको एक बिस्वा रकबा इसलिए कम दिया गया कि उसके लिए उक्त तीनों हिस्सेदारों के 19–19 बिस्वा रकबे में से उसके खेत ख0 नं0 1399/4 के लिए आर–पार पश्चिम डोल के सहारे सहारे 15 फुट चौड़ा आरपार रास्ता के लिए छोड़ कर ही अप्रार्थीगण हिस्सेदारान जोतेगें यानि रास्ता 15 फुट चौड़ा आर पार प्रार्थी के हिस्से में जाने तक रहेगा । इस 15 फुट रास्ते की ऐवज में ही प्रार्थी को एक ऐयर जमीन कम दी गई है और प्रार्थी के हिस्से ख0 नं0 1399/4 है व 1400 के लिए यही बरंग सुर्ख लाल रास्ता पेशकर्दा नक्शा 15 फुट चौड़ा आर पार रास्ता है । इसके अलावा अन्य सुगम रास्ता नहीं है और इसी में से आराजी की बोया जोती हेतु ट्रेक्टर, ट्रोली निकालता है एवं इसी से मैन गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर में से निकल कर बरंग सुर्ख लाल 15 फुट रास्ता में होकर अपनी आराजीयात को जाता है लेकिन अब बदयान्ति पूर्व अप्रार्थीगण जो कि ख0 नं0 1399/1, 1399/2, 1399/3 में होकर गैर कानूनी रूप से अब प्रार्थीगण के रास्ता को रोक रहे हैं व कहते हैं कि रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है । इसलिए प्रार्थीगण को इस रास्ते से नहीं निकलने देगें और गै0मु0 रास्ते के पास ढांकर आदि लगाकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया है जिससे मेरे हिस्से के खेत बिना जुताई बुवाई के पड़े हैं तथा रास्ते में से होकर निकलने नहीं देने व रास्ता का उपयोग उपभोग नहीं करने देने आदि बाबत धमकी दी और रास्ता अवरूद्ध कर दिया । इसलिए प्रार्थी के आराजी ख0 नं0 1399/4 व 1400 वाके ग्राम झालाटाला के लिए रास्ता कायम किया जाकर इन्द्राज किया जावें तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे उक्त रास्ते में वादीगण के आने जाने में व रास्ते के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 18.03.2016 को प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार कर दिया जिस निर्णय दि0 18.03.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

बउनवान मु0 गुलाबों बनाम हरिसिंह
अपील सं0 50/2016

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 251 (ए) के तहत पारित आदेश बिना तामील के सुनाया गया है । प्रतिवादी धनकी, लेखराम, मंगल, राजू, लाड बाई, हरलाल, जयप्रकाश, नन्दकिशोर व महेश की तलबी प्रोपर नहीं हुई है । जयप्रकाश, नन्दकिशोर और महेश ये अलवर से बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं । इनकी तलबी के लिए रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी होने थे जबकि लोकल नोटिस जारी करवा दिये जब तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट को संशोधित नौकरी की जगह पर तामील रजिस्टर्ड ए.डी. से करानी चाहिए थी । इसलिए तहत न्यायालय के द्वारा बिना सुनवाई किये एकतरफा में आदेश पारित किया गया है ।

बहस में आगे कहा कि 251(ए) में सुगम रास्ते के साथ अल्टरनेट रास्ते का भी प्रावधान होता है । यदि अन्य जगह से वादी को कहीं रास्ता प्राप्त हो रहा है तो उसे सुगम रास्ता नहीं दिया जा सकता है । धारा 251 (ए) में रास्ता देने के लिए यह आवश्यक है कि उभयपक्षों को मौके पर तलब किया जायें और सक्षम अधिकारी के द्वारा मौका निरीक्षण करके मौका रिपोर्ट तैयार की जावें । इस संबंध में अपीलांट अभिभाषक के द्वारा कानूनी नजीर 2014 आर.आर.टी. पेज 40, 2016–17 आर.आर.टी. पेज 537 का हवाला दिया गया । बहस में यह भी कहा कि आराजी ख0 नं0 1399 और 1403 की डोल होकर यदि निकलता है तो ख0 नं0 1403 के खसरा नम्बर को सुना गया । दोनों की मेड़ से रास्ता नहीं दिया जा सकता था जो पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट प्रेषित की है और जो मौके के अनुसार जो पेश की है दोनों में अन्तर है । इस आराजी का वादी और प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन के मध्य जो कार्यवाही हुई उसके नामान्तकरण की अपील की हुई है । यदि व नामान्तकरण निरस्त हो जाता है या इसमें कोई विपरित आदेश पारित होता है तो विभाजन के अनुसार जो नक्शा ट्रेस में अलग–अलग हिस्से कायम है वे स्वतः ही गलत हो जाएगें और ऐसी स्थिति में 251 (ए) का प्रार्थना पत्र जिसमें रास्ते के लिए आदेश पारित किये गये हैं वे कानून के विरूद्ध हो जाएगें ।

बहस में आगे यह भी कहा कि मौके के अनुसार वादी और प्रतिवादीगण ख0 नं0 1399 में अलग तरीके से काबिज हैं । इसलिए जो आदेश पारित किया गया है वह कानून सम्मत नहीं है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जावें और तहत न्यायालय में शेष प्रतिवादी/अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाये तथा विभाजन का जो पूर्व में निर्णय पारित हुआ है के संबंध में जो नामान्तकरण दर्ज हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

असल रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कथन किया अपीलांट/प्रतिवादी ने यह नहीं बताया कि वादी/रेस्पो0 को अल्टरनेट और सुगम रास्ता कहां हो करके है । वादी ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि ख0 नं0 1399 के वादी और प्रतिवादी 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है । मुताबिक विभाजन नक्शा में तरमीम कर दी गई है और उसी के आधार पर 251 (ए) के तहत आदेश पारित करके ख0 नं0 1399 के

पश्चिमी मेड़ पर 15 फुट का सही रास्ता उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया है । प्रतिवादीगण जानबूझकर दावे में उपस्थित नहीं हुए तथा जो उपस्थित हुए हैं वे और प्रतिवादीगण एक ही परिवार के आपस में पारिवारिक सदस्य है । इसलिए इस वाद की सभी को जानकारी थी । वर्तमान में अपीलांट ने उसके खसरा नम्बर जो विभाजन के अनुसार 1399 जो प्राप्त हुआ है उसमें आने जाने के लिए सेक रखा है तथा काश्त नहीं करने दी जा रही है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण जयप्रकाश, नन्दकिशोर और महेश जो गांव से बाहर रहते हैं उनकी प्रोपर तामील नहीं हुई है तथा अन्य सह खातेदारान की भी प्रोपर तामील नहीं हुई है । पटवारी हल्का के द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कहीं पर भी इस आशय का अंकन नहीं है कि धारा 251 (ए) के तहत रास्ते के निर्धारण के लिए उभयपक्षों को तलब करके मौका निरीक्षण किया जाये और उभयपक्षों को सुनकर रास्ता के प्रास्थापित किया जावें । मुताबिक पटवारी रिपोर्ट यह भी ज्ञात हुआ है कि नजरी नक्शें के अनुसार मुताबिक विभाजन की डिक्री के आधार पर नक्शें में ख0 नं0 1399 के चार खसरा नम्बर में विभाजित कर 1399/1, 1399/2, 1399/3 व 1399/4 नक्शें में तरमीम कर दिया गया है परन्तु मौका रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा यह भी बताया गया है कि वर्तमान में पक्षकार सह खातेदारान मुताबिक विभाजन मौके पर काबिज नहीं है । अतः यह विरोधाभाषी रिपोर्ट है । चूंकि इस विभाजन के नामान्तकरण की भी अपील विचाराधीन होना बताया और कहा कि दूसरा निर्णय अभी नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलांट जो तहत न्यायालय में अनुपस्थित थे, यहां उपस्थित हैं और तहत न्यायालय उभयपक्षों को पुनः सुनकर विवादित आराजी पर मौके अनुसार पक्षकार जैसे काबिज है उसका अवलोकन करते हुए नक्शें में जो तरमीम की गई है तो इन्हीं पक्षकारों के बीच विभाजन के नामान्तकरण की जो अपील की गई है उसके तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए दो माह में पुनः निर्णय पारित करें । तहत न्यायालय को यह भी आदेश है कि धारा 251 (ए) के तहत रास्ते का प्रावधान निर्धारित करते समय सक्षम अधिकारी के द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें और उभयपक्षों को मौके पर तलब करके मौका पर्चा तैयार करके मौका रिपोर्ट तैयार करवायी जावें । इसलिए अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 18.03.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षों की विधिवत् तामील करवाते हुए, उनको साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं सुनकर सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर और मौका रिपोर्ट तैयार करके पुनः निर्णय पारित करें । उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे

बउनवान मु0 गुलाबों बनाम हरिसिंह
अपील सं0 50/2016

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में दिनांक 4.7.2018 को उपस्थित हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.6.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर